

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/782

--:: आदेश ::--

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी...सिवाना... व भू.अ.नि...सिवाना...
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा...आधारकार्ड
जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, पारिवार राशन कार्ड,
पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार
सिवाना/सम्बद्धी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सिवाना	917.	बस्ता राम पुत्र सोना राम	बस्ती राम पुत्र सोना राम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोट)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/126

दिनांक:- 25.12.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/सम्बद्धी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण बस्ती राम पुत्र सोना राम जाति घोषी निवासी सिवाना तहसील सिवाना/सम्बद्धी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

